8/5/2026	पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.......18/5/...... को पेश हों।
18/5/2026	पत्रा. पेश हुई। अनु. उप. / दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ख.नं. 3517/1.29, ~~26~~ 2615/0.27, 2603/0.12, 2606/0.18, 2622/0.08, 2623/0.04 बाबत कब्जा नदबई डिक्री पा..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस इन्द्राजात को कलमजद किया जाकर प्रतिवादीगण के साथ-साथ वादीगण को भी 1/2 हिस्से पर बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 धनीराम वगै. बनाम ओमप्रकाश वगै.

मुकदमा नंबर 12/2024 दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर हाल जमाबंदी के खाता संख्या 476 के हाल आराजी खसरा नंबर 3517 रकबा 1.29 है. एवं खाता संख्या 477 के हाल आराजी खसरा नंबर 2615 रकबा 0.27 एवं खाता संख्या 478 के खसरा नंबर 2603 रकबा 0.12, 2606 रकबा 0.18, एवं खाता संख्या 479 के खसरा नंबर 2622 रकबा 0.08, 2623 रकबा 0.04 वाके ग्राम कस्बा नदबई द्वितीय पर हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादीगण को भी 1/2 हिस्से पर वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिकी जारी हो। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

किबेज – मुबलिग ———— बावत ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ब दसख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.2026 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. धनीराम मीना पुत्र श्री ओंकार सिंह जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर) (मृतक)

   1/1. जीतेन्द्र सिंह पुत्र धनीराम जाति मीना निवासी नदबई जिला भरतपुर।

   1/2. संदीप मीना पुत्र धनीराम जाति मीना निवासी नदबई जिला भरतपुर।

   1/3. केशर देवी बेवा धनीराम जाति मीना निवासी नदबई जिला भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
2. महेन्द्र पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
3. करनसिंह पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
4. सतवीर पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
5. राकेश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
6. राजू पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
7. विक्रम दत्तक पुत्र खूबीराम जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।
8. लालाराम फौत पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।

   8/1. बरफी बेवा लालाराम जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।

   8/2. देवेन्द्र पुत्र लालाराम जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।

   8/3. विक्रम पुत्र लालाराम जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।

   8/4. इन्द्रा पुत्री लालाराम पत्नी राहुल जाति मीना हाल आबाद लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ।

9. परवी बेवा रामधन जाति मीना निवासी नदबई जिला भरतपुर।
10. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
11. सब रजिस्ट्रार नदबई।
12. पीएनबी बैंक जरिए प्रबंधक नदबई।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं.:– 12/24 दर्ज दिनांक:–19.02.2024

1. धनीराम मीना पुत्र श्री ओंकार सिंह जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर) (मृतक)
   1/1. जीतेन्द्र सिंह पुत्र धनीराम जाति मीना निवासी नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. संदीप मीना पुत्र धनीराम जाति मीना निवासी नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. केशर देवी बेवा धनीराम जाति मीना निवासी नदबई जिला भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
2. महेन्द्र पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
3. करनसिंह पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
4. सतवीर पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
5. राकेश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
6. राजू पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कस्बा नदबई सी0सै0 स्कूल के पास मीना मौहल्ला वार्ड नं. 11 नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
7. विक्रम दत्तक पुत्र खूबीराम जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।
8. लालाराम फौत पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।
   8/1. बरफी बेवा लालाराम जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।
   8/2. देवेन्द पुत्र लालाराम जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।
   8/3. विक्रम पुत्र लालाराम जाति मीना निवासी कस्बा नदबई भरतपुर।
   8/4. इन्द्रा पुत्री लालाराम पत्नी राहुल जाति मीना हाल आबाद लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ।
9. परवी बेवा रामधन जाति मीना निवासी नदबई जिला भरतपुर।
10. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

1. सब रजिस्ट्रार नदबई।

2. पीएनबी बैंक जरिए प्रबंधक नदबई। —प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितः—

1. श्री उदित कटारा एड0 (वादीगण की ओर से)
2. श्री रामकिशन पूनियां एड0 (प्रतिवादी संख्या 01 लगा. 7 की ओर से)

:: निर्णय :: दिनांकः—18.05.2026

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है—

1. वादी एवं प्रतिवादीगण में से कोई भी नाबालिग व फारूक अक्ल नहीं है। सभी दावा लडने में सक्षम हैं व प्रतिवादी संख्या 8 फौत हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान को मुकदमा पक्षकार बनाया गया है।
2. राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी संवत की खाता संख्या 475 के हाल आराजी खसरा नंबर 2782 रकबा 0.11, 2783 रकबा 0.06, 2784 रकबा 0.14 में वादी के पिता का 1/2 हिस्सा वं खाता संख्या 476 के हाल आराजी खसरा नंबर 3517 रकबा 1.29 है. एवं खाता सख्या 474 के हाल आराजी खसरा नंबर 3516 रकबा 0.40 एवं खाता संख्या 477 के हाल आराजी खसरा नंबर 2615 रकबा 0.27 एवं खाता संख्या 478 के खसरा नंबर 2603 रकबा 0.12, 2606 रकबा 0.18, एवं खाता संख्या 479 के खसरा नंबर 2622 रकबा 0.08, 2623 रकबा 0.04 वाके ग्राम कस्बा नदबई द्वितीय में स्थित हैं जो भूप्रबंध विभाग संवत 2060 से पूर्व के खसरा नंबर 2211, 2212, 2771, 2770, 2060, 2048, 2051, 2067, 2068 से निर्मित हैं। एवं इसी प्रकार भूप्रबंध विभाग संवत 2028 से पूर्व के खसरा नंबर 1891, 1857, 1862, 1154, 1156, 1141, 1142 से निर्मित हैं।
3. उक्त विवादित आराजी हिन्दू परिवार की संयुक्त पैतृक आराजी है जो प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण के बाबा एवं परबाबा श्योदान से प्राप्त हुई है जबकि वादी के पिता अनपढ थे, कृषि कार्य करते थे और प्रतिवादीगण के बाबा प्रहलाद पढे लिखे व्यक्ति थे एवं अकेले ही कर्ता खानदान थे इसी कारण राजस्व कार्मिकों से साजकर अकेले ही अपने नाम विरासत का इंतकाल दर्ज करा लिया था और वादी के पिता ओंकारसिंह को अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जिसकी जानकारी वादी के पिता को नहीं हुई थी इसीलिए वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इश्तकरार हक की डिक्री करा पाने का अधिकारी है और वर्तमान रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के साथ निस्फ हिस्से पर खातेदारी दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। तथा वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन करा पाने का अधिकारी है। सजरा वादपत्र पर अंकित है।
4. वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी बाबत् वादी को प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.01.2024 को वाके ग्रम कस्बा नदबई द्वितीय में इस आशय की धमकी दी कि हम तुम्हें मौके से जबरन लठ्ठ के बल पर कब्जें से बेदखल कर देंगे व उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहनवयमुन्तकिल कर देंगे अगर प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से न हो सकेगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को हुक्त इम्तनाईदवामी की डिक्री से इस कदर पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

यथास्थिति बनाए रखें व रहनवयमुन्तकिल न करें। व ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे कि वादी के हक व हकूकों पर कोई जवाल आए एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे वाहिद इन्द्राजातों को आए अधिकारों तक वादी अपने नाम करा पाने का अधिकारी है।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 की ओर से श्री रामकिशन पूनियां एडवो0 उपस्थित हुए एवं जबावदावा पेश किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण तामील बाबजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व 6, 7 की ओर से प्रस्तुत जबाव दावा संक्षिप्त में निम्नानुसार है।

1. यह है कि दावा की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम कहां स्थित है व किस गांव की आराजी है वह वादी ने अपने दावा में अंकित नहीं की है और किसकी पैतृक संपत्ति है वह भी अंकित नहीं किया है इसलिए दावा की मद संख्या 2 स्वीकार नहीं है। अतः दावा चलने योग्य नहीं है।

2. यह कि दावा की मद संख्या 3 स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण मद संख्या 2 में वर्णित संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति है न कि पैतृक संपत्ति है। विवादित आराजी पर वादीगण के पिता ओंकारसिंह कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहे तथा वादी ने यह भी तहरीर नहीं किया कि वादीगण के पिता किस तिथि तक काबिज खातेदार काश्तकार रहें हैं तथा किस तिथि को हम प्रतिवादीगण के बाबा स्व0 प्रहलाद ने अपनी खातेदारी अंकित करा ली है इस सबंध में वादी ने नामान्तकरण की नकल तथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जबकि विवादित आराजी पर हम प्रतिवादीगण के बाबा स्व0 प्रहलाद रिकॉर्ड के अनुसार विवादित आराजी पर काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। तथा उनकी मृत्यु के पश्चात हम प्रतिवादीगण के पिता काबिज चले आ रहे हैं तथा हम प्रतिवादीगण के मरणोपरांत हम प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं।

3. यह कि दिनांक 04.01.2024 को प्रतिवादीगण ने वादी को कोई धमकी नहीं दी है क्योंकि उस संपत्ति पर वादीगण ने एक दावा मु0उ0 धनीराम बनाम महेन्द्र वगै0 मु0नं. 109/2020 न्यायालय हाजा में पेश किया जिसकी दिनांक 31.07.2023 को वादी धनीराम ने अपनी मर्जी से खारिज करा लिया। वादीगण ने उक्त दावा को खारिज कराते वक्त राजीनामा होना अंकित किया है। यदि राजीनामा हो गया तो उक्त राजीनामा को पेश कर दावा डिक्री क्यों नहीं करा लिया। पैतृक संपत्ति होने के आधार पर दावा, राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जा सकता था परन्तु पर्वूवर्ती दावा में विवादित आराजी पैतृक संपत्ति नहीं थी इसलिए वादी ने उक्त दावा खारिज करा लिया लेकिन दिनांक 31.07.23 को लिखित में कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया और न ही नया दावा लाने हेतु परमिशन ली गई। ऐसी स्थिति में दावा रेसज्यूडिकेटा की परिधि में आता है उक्त दावा

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

आदेश 7 नियम 11 से वर्जित है। अतः दावा वादी पैतृक संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड के अभाव में एवं रेसज्यूडिकेटा के आधार पर काबिल खारिज के है।

4.विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 2782 रकबा 0.11, 2783 रकबा 0.06, 2784 रकबा 0.14 एवं खाता संख्या 477 के हाल आराजी खसरा नंबर 2615 रकबा 0.27 एवं खाता संख्या 478 के खसरा नंबर 2603 रकबा 0.12, 2606 रकबा 0.18 है0 पर हम प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा नकल जमाबंदी संवत 2074–77 में उक्त आराजीयात पर हम प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्से पर खातेदारी अंकित चली आ रही है। यह आराजी हम प्रतिवादीगण को अपने पिता रामधन, खूबी, लालाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। हमारे उक्त पूर्वज भी उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार रहे हैं। नकल जमाबंदी संवत 2060 में उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर हम प्रतिवादीगण के पिता रामधन, खूबी व लालाराम की खातेदारी अंकित है व हम प्रतिवादीगण के पिता को यह आराजी प्रतिवादीगण के बाबा स्व0 प्रहलाद से विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर नकल जमाबंदी संवत 2019–22 पर हम प्रतिवादीगण के बाबा स्व0 प्रहलाद की खातेदारी अंकित चली आ रही है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने पूर्व के इन्द्राजात के आधार पर ही खातेदारी अंकित की है। इसी प्रकार खसरा नंबर 3517 रकबा 1.29 हैक्ट0 संपूर्ण पर हम प्रतिवादीगण खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, नकल जमाबंदी संवत 205–78 के अनुसार एवं नकल जमाबंदी संवत 2060 के अनुसार उक्त आराजी आराजी पर हम प्रतिवादीगण के पिता रामधन, खूबी, लालाराम की खातेदारी का अंकन है एवं संवत 2019–22 की जमाबंदी में उक्त विवादित खसरा नंबर पर हम प्रतिवादीगण के बाबा स्व0 प्रहलाद की खातेदारी का अंकन हो रहा है। इस प्रकार पूर्व के इन्द्राजात के अनुसार ही हम प्रतिवादीगण की खातेदारी का अंकन सही हो रहा है।

5.वादी ने विवादित आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु न तो पैतृक आराजी होने का और न ही अपने पिता की खातेदारी होने का रिकॉर्ड पेश किया है और न ही अपनी खातेदारी प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार की जमाबंदी व खसरा गिरदावरी लगान रसीद पेश की है ऐसी स्थिति में वादी आरटीए की धारा 13, 15, 19 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि मौखिक कहने मात्र से खातेदारी प्राप्त नही हो सकती इसलिए वादी का दावा काबिल खाजिरी के है।

6. विवादित आराजी पर अपनी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु ओंकार सिंह ने अपने जीवनकाल में वादपत्र पेश नहीं किया और न ही वादी ने हम प्रतिवादीगण क पिता रामधन, खूबी , लालाराम के जीवनकाल में वादपत्र पेश किया जबकि वादी को काफी समय पूर्व से ही विवादित आराजी पर अपने इन्द्राजात न होने की पूर्ण जानकारी थी। विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता रामधन, खूबी, लालाराम की खातेदारी में चली

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

आ रही है इसकी जानकारी वादी को पूर्व में ही थी अतः दावा काबिल खारिजी के है। दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाए।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबावदावा विवेचन के आधार पर तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार है–

1. आया वादी विवादित आराजी पैतृक आराजीयात है जो प्रतिवादीगण के बाबा प्रहलाद द्वारा विरासतन अपने नाम दर्ज करवा ली और वादी के पिता को अधिकारों से वंचित कर दिया इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी इश्तकार डिक्री करा पाने के अधिकारी हैं?

– जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के साथ निस्फ–निस्फ हिस्से की खातेदारी दुरूस्त करा पाने के अधिकारी हैं?

– जिम्मे वादीगण

3. आया विवादित आराजी स्वअर्जित आराजी है विवादित आराजी पर वादीगण के पिता ओंकार सिंह कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहा जबकि प्रतिवादीगण के पिता खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं?

– जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया विवादित आराजी पर पूर्व में वादीगण ने दावा राजीनामा में खारिज करवा लिया, लेकिन राजीनामा से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया इस स्थिति में बिना अनुमति दावा पेश होने पर दावा काबिल खारिजी के है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

5. दीगर दादरसी।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल सत्यप्रति जमाबंदी हाल संवत 2074–2077 वाके नदबई द्वितीय किता 6 प्रदर्श 1, नकल सत्यप्रति मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 किता 6 प्रदर्श 2, नकल सत्यप्रति जमाबंदी संवत 1995 वाके नदबई प्रदर्श 3, नकल सत्यप्रति जमाबंदी संवत 1986 वाके नदबई प्रदर्श 4,5,6, नकल सत्यप्रति खसरा टीप वाके नदबई संवत 1995–1998, नकल सत्यप्रति जमाबंदी संवत 1986 किता 4 वाके नदबई, नकल सत्यप्रति भूप्रबंध विभाग पर्चा खतौनी किता 2 वाके नदबई पेश किए गए। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धनीराम पुत्र ओंकार सिंह जाति मीना निवासी कस्बा नदबई पीडब्लू 1, हेतराम पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी सितारा पीडब्लू 2, परमाती पुत्र घीसा जाति मीना निवासी कामां पीडब्लू 3 के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा के समर्थन में नकल प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय खारिज मु0उ0 धनीराम बनाम महेन्द्र वगै0 मु0नं0 109/2020 प्रदर्श ए1, प्रमाणित प्रतिलिपि दावा मु0 उ0 धनीराम बनाम महेन्द्र वगै0 प्रदर्श ए 2, प्रतिलिपि वयनामा 25.08.93, नकल जमाबंदी संवत 2010–13 किता 2 वाके नदबई पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में विक्रम दत्तक पुत्र खूबीराम जाति मीना निवासी नदबई डीडब्लू 1, महेन्द्र पुत्र रामधन जाति मीना निवासी नदबई डीडब्लू 2, जगदीश प्रसाद पुत्र रूपराम शर्मा निवासी नदबई डीडब्लू 3, हरिविशन पुत्र पुन्नीराम जाति हरिजन निवासी नदबई डीडब्लू 4 पेश किए गए जिनसे जिरह वकील वादी द्वारा की गई।

हमने वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन रहे कि खाता संख्या 475 के हाल आराजी खसरा नंबर 2782 रकबा 0.11, 2783 रकबा 0.06, 2784 रकबा 0.14 में वादी के पिता का 1/2 हिस्सा वं खाता संख्या 476 के हाल आराजी खसरा नंबर 3517 रकबा 1.29 है. एवं खाता सख्या 474 के हाल आराजी खसरा नंबर 3516 रकबा 0.40 एवं खाता संख्या 477 के हाल आराजी खसरा नंबर 2615 रकबा 0.27 एवं खाता संख्या 478 के खसरा नंबर 2603 रकबा 0.12, 2606 रकबा 0.18, एवं खाता संख्या 479 के खसरा नंबर 2622 रकबा 0. 08, 2623 रकबा 0.04 वाके ग्राम कस्बा नदबई द्वितीय में स्थित हैं जो भूप्रबंध विभाग संवत 2060 से पूर्व के खसरा नंबर 2211, 2212, 2771, 2770, 2060, 2048, 2051, 2067, 2068 से निर्मित हैं। एवं इसी प्रकार भूप्रबंध विभाग संवत 2028 से पूर्व के खसरा नंबर 1891, 1857, 1862, 1154, 1156, 1141, 1142 से निर्मित हैं। उक्त विवादित खसरा नंबर पर प्रहलाद के नाम दर्ज थे जो कि प्रहलाद को जरिए विरासतन श्योदान से प्राप्त हुई है। सत्यप्रति खसरा टीप वाके नदबई संवत 1995–1998 से बखूबी साबित होता है। अतः प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी है जिस कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कहे कि वादीगण द्वारा वादपत्र पर प्रस्तुत सजरा स्वीकार नहीं है एवं दावा रेसज्यूडिकेटा से भी बाधित है। वादीगण ने एक दावा मु0उ0 धनीराम बनाम महेन्द्र वगै0 मु0नं. 109/2020 न्यायालय हाजा में पेश किया जिसकी दिनांक 31.07. 2023 को वादी धनीराम ने अपनी मर्जी से खारिज करा लिया। वादीगण ने उक्त दावा को खारिज कराते वक्त राजीनामा होना अंकित किया है। यदि राजीनामा हो गया तो उक्त राजीनामा को पेश कर दावा डिक्री क्यों नहीं करा लिया। पैतृक संपत्ति होने के आधार पर दावा, राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जा सकता था परन्तु पर्वूवर्ती दावा में विवादित आराजी पैतृक संपत्ति नहीं थी इसलिए वादी ने उक्त दावा खारिज करा लिया लेकिन दिनांक 31.07.23 को लिखित में कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया और न ही नया दावा लाने हेतु परमिशन ली गई। ऐसी स्थिति में दावा रेसज्यूडिकेटा की परिधि में आता है उक्त दावा आदेश 7 नियम 11 से वर्जित है। अतः दावा वादी पैतृक संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड के अभाव में एवं रेसज्यूडिकेटा के आधार पर काबिल खारिज के है। वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 पेश नहीं किया गया है जिससे खसरा नंबरों का मिलान हो सके। उक्त विवादित आराजी पर वादी द्वारा खुदकाश्त संबंधी कोई दस्तावेज पेश

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

नहीं किया गया है। पीडब्लू 1 से जिरह में भी गवाह वादी ने स्वयं के कब्जे के संबंध में यह कहा कि किस खसरानंबर पर वादी का कब्जा है यह पता नहीं है। खसरा गिरदावरी/खसरा टीप खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पर्याप्त दस्तावेज नही हैं। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जाए।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गौरपूर्वक अवलोकन किया तुदपरान्त तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. आया वादी विवादित आराजी पैतृक आराजीयात है जो प्रतिवादीगण के बाबा प्रहलाद द्वारा विरासतन अपने नाम दर्ज करवा ली और वादी के पिता को अधिकारों से वंचित कर दिया इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी इश्तकार डिक्री करा पाने के अधिकारी हैं– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 2 एवं नकल पर्चा खतौनी भूप्रबंध विभाग संवत 2028 के अनुसार उक्त विवादित खसरा नंबर संवत 2060 से पूर्व के साबिक खसरा नंबर 2211, 2212, 2771, 2770, 2060, 2048, 2051, 2067, 2068 से निर्मित हैं। एवं इसी प्रकार भूप्रंबध विभाग संवत 2028 से पूर्व के खसरा नंबर 1883, 1884, 1891, 1857, 1862, 1154, 1156, 1141, 1151, 1142 से निर्मित हैं। मुताबिक रिकॉर्ड राजस्व जमाबंदी संवत 1986 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 1156, 1148, 1154, 1141, 1142 पर कॉलम संख्या 05 में काश्तकार के रूप श्योदान बल्द भागीरथ हिस्सा 2 बैल दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक खसरा नं0 1883, 1884 के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साबिक खसरा नं0 1857, 1862, 1864 मुताबिक नकल खसरा टीप संवत 1995 से 1998 में श्योदान बल्द भागीरथ के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। परन्तु नकल उक्त खसरा टीप अनुसार संवत 1997 में कॉलम संख्या 14 में इंतकाल प्रहलाद बल्द श्योदान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संवत 1985 के अनुसार श्योदान बल्द भागीरथ शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैतृक आराजीयात है जो प्रतिवादीगण को बाबा प्रहलाद से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त तनकीयात वादी के हक में सिद्ध की जाती है।
2. आया वादीगण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के साथ निस्फ–निस्फ हिस्से की खातेदारी दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। तनकी संख्या 01 में विवादित आराजी पैतृक आराजी साबित हो चुकी है एवं पैतृक आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् संतान का जन्म से हक व हिस्सा निहित होता है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात, जो प्रहलाद (प्रतिवादीगण का बाबा) को स्योदान से प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

हुई है, उसमें प्रहलाद के साथ ही ओंकार (वादी का पिता) भी निस्फ हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित में है। इस प्रकार हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के हिस्से की खातेदारी को दुरूस्त करते हुए वादीगण, प्रतिवादीगण के साथ निस्फ हिस्से पर खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादी के हक में सिद्ध की जाती है।

3. आया विवादित आराजी स्वअर्जित आराजी है विवादित आराजी पर वादीगण के पिता ओंकार सिंह कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहा जबकि प्रतिवादीगण के पिता खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। साबिक खसरा नं0 1862, 1857 नकल जमाबंदी संवत 2010 लगायत 2013 में प्रतिवादीगण के बाबा प्रहलाद बल्द श्योदान के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है, परन्तु इससे पूर्व की जमाबंदी में उक्त विवादित आराजी श्योदान बल्द भागीरथ के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। शेष विवादित आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेजात् पेश नहीं किया है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई ऐसा दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात स्वअर्जित है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

4. आया विवादित आराजी पर पूर्व में वादीगण ने दावा राजीनामा में खारिज करवा लिया, लेकिन राजीनामा से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, इस स्थिति में बिना अनुमति दावा पेश होने पर दावा काबिल खारिजी के है । उक्त तनकी को सिद्ध का भार प्रतिवादीगण का है। वादीगण ने एक दावा मु0उ0 धनीराम बनाम महेन्द्र वगै0 मु0नं. 109/2020 न्यायालय हाजा में पेश किया जिसकी दिनांक 31.07.2023 को वादी धनीराम ने अपनी मर्जी से खारिज करा लिया। प्रतिवादी वकील ने बहस में अवगत कराया है कि वादीगण ने उक्त दावा को खारिज कराते लिखित में राजीनामा नहीं होना अंकित किया है। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती दावा मुकदमा संख्या 109/2020 मुकदमा उनवान धनीराम बनाम महेन्द्र वगै. में नया दावा पेश करने की अनुमति ली गई थी, तदुपरान्त ही वादी द्वारा नया दावा न्यायालय में पेश किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजी है । वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर हाल जमाबंदी के खाता संख्या 476 के हाल आराजी खसरा नंबर 3517 रकबा 1.29 है. एवं खाता संख्या 477 के हाल आराजी खसरा नंबर 2615 रकबा 0.27 एवं खाता

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

संख्या 478 के खसरा नंबर 2603 रकबा 0.12, 2606 रकबा 0.18, एवं खाता संख्या 479 के खसरा नंबर 2622 रकबा 0.08, 2623 रकबा 0.04 वाके ग्राम कस्बा नदबई द्वितीय पर हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादीगण को भी 1/2 हिस्से पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते